29/12/21

पत्रा० पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। बहस आदेश हेतु प्रस्तुत। वाद वादी-प्रार्थना अनुसार खारिज किया जाता है — मि०वि० पंजिका से निकाला जाकर [illegible] आवश्यक कार्यवाही बाद मि०वि० कार्यालय पत्रा० हो।

पत्रा० मौसल रिकार्ड बाद तकमील जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज॰

Signature Not Verified

Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर)राज0
पीठासीन अधिकारी श्री मुहम्मद जुनैद(आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 163 / 2013
किस्म प्रकरण :— दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 29.12.2021

1. दीपचंद उम्र 55 साल पुत्र विभूती कौम जाटव निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर (राज0)

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर भरतपुर —असल प्रतिवादी

2. रतन पि. विभूती कौम जाटव निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भ्रतपुर (राज0)
3. मूलचंद पि. विभूती कौम जाटव निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भ्रतपुर (राज0)

—प्रतिवादीगण

उपस्थिति अधिवक्ता श्री महावीरप्रसाद (वादीगण की और से)
पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई(प्रति की और से)

<u>निर्णय</u> दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादीगण द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है।

1. यह है कि आराजी ख0न0 1558 जिसका बन्दोबस्त संवत 2060 के पूर्व का खसरा नम्बर 1269 तथा ंवत 2028 के बन्दोबस्त से पूर्व ख0न0 885 है। यह आराजी वादी के स्व. पिता विभूती के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आंवटित शुदा आराजी है जिस पर अब वादी न्यायानूर मनवट अनुसार अपने भाई तर. प्रतिवादी क्रमंस 2 व 3 के साथ विरासत काबिज है। और काश्त करता हुआ चला आ रहा है। आराजी वाके ग्राम झारकई पर स्थित है।
2. यह है कि वादी व तर. प्रतिवादी के स्व. पिता विभूती भूमिहीन काश्तकार थे। जिनके लिए गांधी जयन्ती के शुभ अवसर पर दिनांक 27.09.1970 को अन्य भूमिहीन के साथ साबिक खसरा नम्बर 885 रकवा 50.15 बीघा मे से 2 बीघा 0.1 विस्वा का आंवटन मौके पर निशानात कायम कर दिया था। जिसका कब्जा व दखल मौके पर वादी के पिता को प्रदान किया गया था। जिसका नामन्तकरण गैर खातेदार न0 391 तथा खातेदारी इंतकाल न0 392 किया जाकर राजस्व रिकार्ड खातेदार डिक्रीयर किया गया था वक्त आंवटन से अपनी मृत्यु होने तक स्वंय एक खातेदार कृषक ही हैसियत काबिज होकर काश्त करते हुऐ चले आ रहे है। और अब उनकी मृत्यु उपरान्त वादी आने भाई तर. प्रतिवादी के साथ विरासतन अकेला ही काबिज है और काश्त करता चला आ रहा है।
3. यह है कि वादी के स्व. पिता विभूती को संवत 2041 दिनांक 24.01.1983 को गैर खातेदार से खातेदार डिक्लियर किया गया था परन्तु जमाबंदी संवत 2041—44 में तथा कथित नमातंरण अमल करते समय आराजी का क्षेत्रफल मात्र 0.10 विस्वा कर दिया जो नामातंरण सं. 392 की प्राविष्टिया के [illegible] के अनुसार गलत था। और वादी के स्व. अशिक्षित व भोले थे [illegible] की स्थिति व गलत इन्द्राज की ओर ध्यान नही दिया जो गलत [illegible] रिकॉर्ड में कायम चले आ रहे है जिन्हे साबिक रिकार्ड की रोशनी में [illegible] पाने का मुतस्क है। और अपने नाम बीघा 6 विस्वा साबिक था 0.33 एयर हाल रिकार्ड में खातेदारी का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

मौके पर पूरा क्षेत्रफल है। जिस पर वह काबिज होकर काश्त करता हुआ चला आ रहा है।

4. यह हैकि वादी को अब राजस्व रिकार्ड गलत इन्द्राज व मौके के विपरीत इन्द्राजात की जानकारी हुई तो वादी ने अपने वकील के कार्यालय से कानूनी नोटिस दफा 80 जा0 दी0 का श्रीमान जिला कलक्टर महोदय भरतपुर व तहसीलदार नदबई को प्रेषित कराया जिसकी निर्धारित अवधि गुजरने के बाद उक्त वाद न्यायालय में पेश किया गया

5. अतः वादी का वाद पत्र डिक्री फरमाया जावें कि वह इन्तकाल सं. 392 के इन्द्राजात के आधार पर आराजी मुद्दाविया खसरा नं. हाल 1558 रकवा 0.33 की राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कराने के अधिकारी है। वर्तमान गलत क्षेत्रफल को कलमजन कर सही आवंटन अनुसार क्षेत्र0 को राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करा पाने का मुस्तक है। तथा प्रतिवादी असल को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर किसी प्रकार हस्तक्षेप नही करे।

6. दावा दर्ज रजि0 किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण स. 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई उपस्थित हुऐ। प्रतिवादी स. 1 व 2 की ओर से पैरोकार सरकार द्वारा जबाब दावा प्रस्तुत किया गया। अपने जबाब में निम्नाकित तथ्यो का उल्लेख किया गया जो इस प्रकार है।

   1. यह है कि वाद पत्र की मद सं. 1 अस्वीकार है।
   2. यह है कि वाद पत्र की मद सं. 2 मुंताबिक जमाबंदी अनुसार स्वीकार है। शेष कथन अस्वीकार है।
   3. यह है कि वाद पत्र की मद सं. 3 वादी का आंशिक स्वीकार है।
   4. यह है। कि मद सं. 4 वाद पत्र राजस्व रिकार्ड से संबंधित है। वादी की बची आराजी का कोई रिकार्ड नही है।
   5. यह है कि मद सं. 5 कानूनी व गौर अदालत है।

7. वादीगण के वाद पत्र के तथ्यो एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के जबाब दावा के अभिवचनो के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गई । जो इस प्रकार है।

   1. आया विवादित आराजी वादी के पिता विभूति की आवंटन शुदा कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर वह विरासतन काबिज है।
   –जिम्मेवादीगण
   2. आया वादी के पिता को दिनॉक 24.01.1983 विवादित आराजी पर गैर खातेदार डिक्लियर किया गया था परन्तु नामातंरण तस्दीक करते समय आराजी मुदनाजा का क्षेत्रफल 2 बीघा 10 विस्वा के स्थान पर 0.10 का अंकन कर दिया गया जो आज तक कायम है।
   –जिम्मेवादीगण
   3. आया वादी साबिक रिकॉर्ड की विनाय पर उस के पिता के हक में कम किये गये क्षेत्रफल को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। –जिम्मेवादीगण
   4. आया वादी रिकार्ड के अभाव में काबिल खारिजी के है। –जिम्मेप्रतिवादी

8. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी संवत 2069–207[illegible] नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2028 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श– 2, नक[illegible] क्षैत्रफल संवत 2060 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श– 3, नकल [illegible] ग्राम झारकई प्रदर्श 4, जमाबंन्दी संवत 2041 से 2044 व 2015 [illegible] प्रदर्श – 5, नकल जमाबंन्दी संवत 2049 –20[illegible]दर्श –6, पेश किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:16 IST
Reason: SelfAttested

9. वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में [illegible]खिक ब्यान के रूप में शपथ पत्र श्री दीपचंद पुत्र विभूति जाति जाटव निवासी झारकई एवं रतन पुत्र विभूति जाति जाटव

Junaid
सहायक कलक्टर
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

Scanned with CamScanner

निवासी झारकई तहसील नदबई के पेश किये गये। इनसे जिरह प्रतिवादी पैरोकार द्वारा नही कि गई।

10. प्रतिवादी द्वारा अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य पेश नही किये गये। उसके बाद पत्रावली वास्ते बहस अन्तिम नियत कि गई।

11. उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ता कि बहस अन्तिम सुनी गई पत्रावली का आवलोक किया गया निर्णय तनकीवार इस प्रकार है :–

1. आया विवादि त आराजी के पिता विभूति की आवंटन शुदा कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है। जिस पर वह विरासतन काबिज है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादी गण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंन्दी संवत 2069–2072 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श–1 में वादीगण के पिता विभूति कौम जाटव सा.देह ख0न0 1558 रकवा 0.12 वाके ग्राम झारकई की खातेदारी का अंकन हो रहा है। वादी के पिता विमति को दिनांक 27.09.1970 को आवंटित हुई थी। उसके बाद वादी के पिता विभूति को खातेदारी प्रदान कि गई। वादी के पिता कि मृत्यु के बाद वादीगण के कब्जे काश्त करते हुऐ चले आ रहे है। उक्त तनकी के विरोध में प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार कोई दस्तावेज भी पेश नही किया गया । अत उक्त तनकी वादीगण के हक में तय कि जाती है।
2. आया वादी के पिता को दिनॉक 24.01.1983 विवादित आराजी पर गैर खातेदार डिक्लियर किया गया था परन्तु नामातंरण तस्दीक करते समय आराजी मुदनाजा का क्षेत्रफल 2 बीघा 10 विस्वा के स्थान पर 0.10 का अंकन कर दिया गया जो आज तक कायम है। :– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था। वादीगण द्वारा प्रस्तुत नकल नामन्तकरण स. 391 में खसरा नम्बर 1269 रकवा 1 बीघा 6 विस्वा का नामान्तकरण विभूति वल्द रामा जाति जाति जाटव सा. झारकई के नाम गैर खातेदार दर्ज दिनांक 25.01.83 को स्वीकार हुआ तथा नकल नामान्करण स. 392 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श 4 पेश कि में ख0न0 1269 मिन में 1 बीघा 6 विस्वा विभूति वल्द रामा कौम जाटव को गैर खातेदार से खातेदार स्वीकार हुआ एवं जमाबंन्दी संवत 2041 से 2044 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श – 5 से साबित है कि वादी पिता विभूति पुत्र रामा कौम जाटव सा. झारकई के नाम ख0न0 1269 मिन में रकवा 10 विस्वा का ही अमल किया गया जो मुताबिक नामानतकरण स. 392 (खातेदारी) से रकवा 1 बीघ 6 विस्वा होना चाहिऐ। नकल जमाबंन्दी संवत 2049 –2052 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श –6, में वादी के पिता कि खातेदारी बदस्तूर चली आ रही है। इस संबध में न्यायालय द्वारा तहसीलदार नदबई से रिपोर्ट भी ली गई मुताबिक रिपोर्ट रकवा 0.12 रिकॉर्ड दर्ज है परन्तु नक्शे में क्षैत्रफल मुताबिक पैमाना रकवा 32 हैक्ट. है तथा मौके पर भी रकवा .32 की काबिज काश्त है। अत उक्त तनकी वादीगण के हक में तय की जाती है।
3. आया वादी साबिक रिकॉर्ड की विनाय पर उस के पिता के हक में कम किये गये क्षेत्रफल को दुरूस्त कराने के अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था जो कि तनकी स. 2 के निर्णय में सिद्ध किया जा चुका है उक्त तनकी भी वादी के हक में तय कि जाती है।
4. आया वादी रिकार्ड के अभाव में काबिल खारिजी के है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार कोई दस्तावेज भी पेश नही किया गया । अत उक्त तनकी प्रतिवादी के खिलाफं तय कि जाती है।
5. उपरोक्त तनकीवार निर्णय साबित है कि वादी के पिता विभूति का रकवा 0.32 के स्थान पर 0.10 का अंकन किया गया है जो कि काबिल दुरूस्त योग्य है।अत वादीगण का दावा काबिल डिक्री किया जाना उचित है।

Junaid
कार्यक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
नदबई (भरतपुर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Muhammad Junaid P P
Date: 2022.01.05 12:55:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner